

## निरीक्षण रिपोर्ट

(स्थापना सम्मति तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप)

01.	उद्योग का नाम	
02.	प्रस्तावित स्थल का खसरा नम्बर।	
03.	प्रस्तावित स्थल का कुल क्षेत्रफल।	
04.	प्रस्तावित स्थल का वर्तमान भू उपयोग (कृषि / आवासीय / कर्मशियल / औद्योगिक आदि)	
05.	प्रस्तावित स्थल का पटवारी हल्का नम्बर।	
06.	प्रस्तावित स्थल के ग्राम (ग्रामों) का नाम।	
07.	ग्राम पंचायत (पंचायतों) का नाम, जिसके अंतर्गत उद्योग स्थल आता है।	
08.	ब्लॉक	
09.	तहसील	
10.	जिला	
11.	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम।	
12.	निरीक्षण दिनांक एवं समय।	
13.	निरीक्षण के दौरान उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम एवं पदनाम।	
14.	प्रस्तावित कुल ग्रास केपिटल इन्वेस्टमेन्ट (लाख रूपये में)।	
15.	प्रस्तावित कुल ग्रास केपिटल इन्वेस्टमेन्ट की पुष्टि का आधार।	प्रोजेक्ट रिपोर्ट / वार्षिक रिपोर्ट / उद्योग द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र / सी.ए. सर्टिफिकेट
16.	प्रस्तावित उत्पाद एवं	उत्पाद का नाम उत्पादन क्षमता

	उत्पादन क्षमता (जिस हेतु सम्मति चाही गई है) का विवरण। (यदि कोई सह उत्पाद हो तो उसका भी उल्लेख करें।)		

17.	प्रस्तावित उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता (जिस हेतु सम्मति चाही गई है।) हेतु भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग / राज्य शासन द्वारा जारी आशय पत्र (अभिस्वीकृति पत्र) / जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र द्वारा जारी पंजीयन / अन्य संबंधित शासकीय विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र के संबंध में विवरण।		
-----	--	--	--

18.	उद्योग का प्रकार (रेड, आरेन्ज, ग्रीन)।	
-----	--	--

19.	प्रस्तावित उद्योग स्थल के आस-पास 10 किलोमीटर की त्रिज्या में स्थित पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी।	<b>स्थलों का प्रकार</b>	<b>नाम</b>	<b>दूरी (किलोमीटर में)</b>	<b>दिशा</b>
		नदी/नाला		हाई फ्लड लेबल से दूरी-	
		राष्ट्रीय राजमार्ग			
		राजमार्ग			
		रिजर्व फॉरेस्ट			
		प्रोटेक्ट फॉरेस्ट			
		पर्यावरणीय दृष्टि से संवदेनशील क्षेत्र जैसे- राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बाँयो स्फीयर रिजर्व			
		धार्मिक स्थल			
		ऐतिहासिक स्थल/स्मारक			
		अन्य महत्वपूर्ण स्थल/स्मारक			
आवासीय क्षेत्र/बस्ती	नाम-				
	जनसंख्या-				
	नाम-				
	जनसंख्या-				
	नाम-				
	जनसंख्या-				
नाम-					
जनसंख्या-					

			नाम— जनसंख्या—		
		उद्योग			
		क्रिटिकली पल्यूटेड एरिया			

20.	प्रतिदिन प्रयुक्त कच्चे पदार्थों का नाम एवं मात्रा। (यदि कोई खतरनाक अपशिष्ट का उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाना है तो, पूर्ण विवरण यथा स्रोत, मात्रा, श्रेणी आदि की जानकारी प्रस्तुत करें।)	<b>नाम</b>	<b>मात्रा</b>

21.	जल उपभोग की मात्रा।	<b>जल उपभोग का मद</b>	<b>जल उपभोग की मात्रा (किलोलीटर प्रतिदिन)</b>
		घरेलू	
		प्रक्रिया में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
		कूलिंग में (वन्स थ्रू तथा मेकअप की मात्रा पृथक-पृथक उल्लेख करें। यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
		बॉयलर	
		डी.एम. प्लांट/सॉप्टनर प्लांट रेजिन री-जनरेशन में वाशिंग में (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि। यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
		जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
		डस्ट सप्रेसन में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
		वृक्षारोपण में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
		अन्य कार्यों में (यदि उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित हो, तो उसकी मात्रा का भी उल्लेख करें।)	
	जल आपूर्ति स्रोत का विवरण।		

22.	उत्पन्न निस्त्राव की मात्रा।	<b>उत्पन्न निस्त्राव का स्रोत</b>	<b>उत्पन्न निस्त्राव की मात्रा (किलोलीटर प्रतिदिन)</b>
		घरेलू	
		प्रक्रिया से	
		कूलिंग ब्लोडाउन से	
		बायलर ब्लोडाउन से	
		डी.एम. प्लांट/सॉफ्टनर प्लांट रेजिन री-जनरेशन से	
		वाशिंग से (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि।)	
		जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से	
		अन्य कार्यों से	
	कुल		
23.	उत्पन्न निस्त्राव के लिये प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का विवरण।	<b>उत्पन्न निस्त्राव का विवरण</b>	<b>उत्पन्न निस्त्राव के उपचार हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का तकनीकी विवरण सहित जानकारी।</b>
		घरेलू	
		प्रक्रिया से	
		कूलिंग ब्लोडाउन से	
		बायलर ब्लोडाउन से	
		डी.एम. प्लांट/सॉफ्टनर प्लांट रेजिन री-जनरेशन से	
		वाशिंग से (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि।)	
		जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से	
		अन्य कार्यों से	
24.	उपचार उपरांत निस्त्राव के प्रस्तावित उपयोग के संबंध में जानकारी।	<b>उपचारित निस्त्राव का विवरण</b>	<b>उपयोग किये जाने का विवरण एवं उपयोग की मात्रा</b>
		घरेलू	
		प्रक्रिया	
		कूलिंग ब्लोडाउन	
		बायलर ब्लोडाउन	
		डी.एम. प्लांट/सॉफ्टनर प्लांट रेजिन री-जनरेशन	
		वाशिंग (कन्टेनर वाशिंग, फ्लोर वाशिंग, व्हीकल वाशिंग आदि।)	
		जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था	
		अन्य कार्यों	
	कुल		
25.	उपचारित निस्त्राव के विभिन्न कार्यों में उपयोग उपरांत शेष निस्त्राव के उपयोग / अपवहन के संबंध में जानकारी। (यदि किसी भी परिस्थिति में उपचारित निस्त्राव के	<b>शेष निस्त्राव का विवरण</b>	<b>अपवहन किये जाने का विवरण एवं अपवहन की मात्रा</b>

	अंततः समीपस्थ नदी / नाले में मिलने की संभावना है, तो उस स्थिति में नदी/ नाले की वर्तमान गुणवत्ता, श्रेणी व निस्त्राव उपरांत नदी/नाले की संभावित गुणवत्ता व निस्त्राव के समाहित करने की क्षमता पर विवेचना सहित जानकारी दी जावे।)		
			कुल

26.	निस्त्राव के प्रस्तावित उपचार, उपयोग, अपवहन व्यवस्था की उपयुक्तता के संबंध में अभिमत।	
-----	---	--

27.	निस्त्राव के आसानी से जैव अवकर्षणीय होने, निराविषी होने, आसानी से जैव अनवकर्षणीय होने अथवा विषी होने की संभावना के संबंध में अभिमत।	
-----	---	--

28.	ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन बाबत जानकारी।	ठोस अपशिष्टों का विवरण	ठोस अपशिष्टों की मात्रा (प्रतिदिन में)	एकत्रीकरण, भण्डारण, परिवहन, उपचार, अन्य कार्यों में उपयोग एवं अपवहन व्यवस्था का विवरण

	क्या उत्पन्न ठोस अपशिष्टों का अपवहन परिसर के बाहर किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण देवें। साथ ही इसकी उपयुक्तता के संबंध में अभिमत देवें।	
--	---	--

	यदि राख उत्पन्न होता है, तो भारत सरकार के नोटिफिकेशन अनुसार उपयोग / अपवहन हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण देवें। (प्रस्तावित कार्ययोजना सहित)	
--	---	--

	ठोस अपशिष्टों के प्रस्तावित प्रबंधन व्यवस्था की उपयुक्तता के संबंध में अभिमत।	
--	---	--

29.	प्रस्तावित बॉयलर, हीटर, फर्नेस, डी.जी. सेट आदि की जानकारी।	प्रस्तावित संयंत्र का नाम	संख्या एवं क्षमता	प्रयुक्त ईंधन का नाम एवं मात्रा (प्रतिदिन में)	प्रयुक्त ईंधन में उपस्थित सल्फर की मात्रा (प्रतिशत में)

30.	प्रोसेस फ्लो डायग्राम अनुसार वायु प्रदूषकों (पर्टिकुलेट मीटर, गैसीयस् आदि) के उत्सर्जन के स्रोत एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी।	स्रोत का नाम	प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विस्तृत विवरण	प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की दक्षता (रिडक्शन इफीसियेन्सी) बाबत् जानकारी

31.	फ्यूजिटिव डस्ट / गैसेस प्रदूषकों के उत्सर्जन के स्रोत एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। (समस्त कच्चे पदार्थों / उत्पादों / अपशिष्टों आदि के हथालन एकत्रीकरण, भण्डारण, परिवहन, उपचार एवं अपवहन आदि के दौरान उत्पन्न फ्यूजिटिव उत्सर्जन हेतु भी जानकारी दी जावे।)	स्रोत का नाम	प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विस्तृत विवरण	प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की दक्षता (रिडक्शन इफीसियेन्सी) बाबत् जानकारी

32.	प्रोसेस फ्लो डायग्राम अनुसार वायु प्रदूषकों (पर्टिकुलेट मीटर, गैसीयस् आदि) के उत्सर्जन हेतु प्रस्तावित चिमनियों के संबंध में जानकारी। (डी.जी.	सेक्शन/संयंत्र का नाम, जिससे चिमनी संबद्ध है।	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण का नाम	प्रस्तावित ऊँचाई	ऊँचाई की उपयुक्तता बाबत् जानकारी।

	सेट आदि उत्सर्जन स्रोतों बाबत भी जानकारी दी जावे।)				
33.	वायु प्रदूषकों (पर्टिकुलेट मटर, गैसीयस् आदि) के उत्सर्जन के अनुमानित मात्रा के संबंध में जानकारी।	सेक्शन/संयंत्र का नाम, जिससे चिमनी संबद्ध है।	फ्लू गैस की मात्रा (घनमीटर/घंटा)	वायु प्रदूषकों (पी.एम./एस.ओ. टू/अन्य) का नाम एवं उत्सर्जन की मात्रा (किलोग्राम/घंटा)	
34.	प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की उपयुक्तता के संबंध में अभिमत।				
35.	वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी।	वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल परिसर के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट विकास किये जाने के संबंध में उपलब्ध भूमि का विवरण (परिसर के चारों तरफ कितनी चौड़ी ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना आवश्यक है तथा इस हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं। इस बाबत पूर्ण जानकारी देवे।) वृक्षारोपण में उपयोग किये जाने वाले उपचारित निस्त्राव की मात्रा एवं इस हेतु उपलब्ध भूमि पर्याप्त होने संबंधी जानकारी। उद्योग द्वारा वृक्षारोपण प्लान बाबत जानकारी।			1. वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल— 2. वृक्षारोपण की संख्या— 3. वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित समयावधि—
36.	प्रस्तावित उद्योग द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत / पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है ? यदि हाँ, तो ग्राम पंचायत का नाम, संकल्प / ठहराव पारित करने का दिनांक आदि का विवरण देवे।				
37.	उद्योग स्थापना के संबंध में प्राप्त				

	शिकायत का विवरण एवं निरीक्षण उपरांत तथ्यों के निराकरण की दिशा में की गई कार्यवाही। (यदि कोई हो।)		
--	--	--	--

38.	प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के संबंध में जानकारी।		
-----	---	--	--

39.	प्रस्तावित दूषित जल / वायु मॉनिटरिंग व्यवस्था की जानकारी।	<b>दूषित जल</b>	<b>वायु</b>

40.	वर्षा जल के साथ कच्चे पदार्थों, उत्पादों, ईंधन, अपशिष्टों के बहाव की रोकथाम हेतु प्रस्तावित व्यवस्था। (गारलेण्ड ड्रेन, चेकडेम आदि) की जानकारी।		
-----	--	--	--

41.	अन्य विवरण।		
-----	-------------	--	--

42.	पर्यावरणीय दृष्टि से स्थल उपयुक्तता के संबंध में अभिमत एवं अनुशंसा।		
-----	---	--	--

43.	स्थापना सम्मति / अनापत्ति प्रमाण पत्र में यदि कोई विशेष शर्त अधिरोपित किया जाना हो तो स्पष्ट रूप से इस बाबत जानकारी दें।		
-----	--	--	--

44.	स्थापना सम्मति / अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत स्पष्ट अभिमत।		
-----	--	--	--

**लोक सुनवाई प्रकरणों के संबंध में**

45.	लोक सुनवाई की तिथि।		
	लोक सुनवाई आयोजित स्थल।		
	लोक सुनवाई पेनल की अनुशंसा / अभिमत।		

	लोक सुनवाई में प्राप्त / उठाये गये विचार, अभिमत, टीका, टिप्पणी, आपत्ति, शिकायत आदि का बिंदुवार विवरण एवं इस संबंध में उद्योग से प्राप्त उत्तर/प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण।	विचार, अभिमत, टीका, टिप्पणी, आपत्ति, शिकायत आदि का संक्षिप्त विवरण	उद्योग से प्राप्त उत्तर / प्रस्तावित कार्यवाही	क्षेत्रीय अधिकारी का अभिमत / अनुशंसा

46.	उद्योग के विरुद्ध की गई विधिक कार्यवाही (यदि कोई हो) का विवरण।
-----	--

हस्ताक्षर

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम  
निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम  
क्षेत्रीय कार्यालय की सील

क्षेत्रीय अधिकारी की अभिमत/अनुशंसा (उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी के अलावा किसी अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाने की स्थिति में।)
--

हस्ताक्षर

क्षेत्रीय अधिकारी का नाम  
क्षेत्रीय कार्यालय की सील